

प्रेषिका,

सुश्री शैली राय,
अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय),
कक्ष संख्या-02, गोण्डा।

सेवा में,

श्रीमान महा निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान प्रधान न्यायाधीश महोदय (परिवार न्यायालय)
गोण्डा

विषय:- साहित्यिक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,


ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार जनपद, गोण्डा में अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कक्ष संख्या-02, गोण्डा के रूप में नियुक्त हूँ।

मेरे द्वारा एक साहित्यिक कृति की रचना की गई है, जिसे मैं पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाना चाहती हूँ। उक्त साहित्यिक रचना न तो न्याय विभाग से सम्बन्धित है, और न ही भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य शासकीय विभाग से ही सम्बन्धित है। यह एक पूर्णरूपेण साहित्यिक रचना है, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा किसी समुदाय या धर्म विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त रचना/पुस्तक के कारण मेरे पदीय दायित्व प्रभावित नहीं होंगे। यदि उक्त रचना के प्रकाशन के पश्चात् मुझे कोई रायल्टी आदि मिलती है, तो मैं नियमानुसार भारत सरकार को कर (Tax) अदा करूँगी। उक्त पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में मैं शपथ-पत्र इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर रही हूँ।


अस्तु माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि मेरी उक्त रचना को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाये जाने हेतु अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
सादर!

संलग्नक:- यथोपरि।


दिनांक:-


16.10.2020

भवदीया


(शैली राय) 15/10/2020
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
कक्ष संख्या-02, गोण्डा

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

शपथ-पत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AE 753341

समक्ष:-

श्रीमान महा निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

मैं शैली राय, अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), कक्ष संख्या-02, गोण्डा शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि:-

- धारा-01:- यह कि मैं जनपद गोण्डा में अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), कक्ष संख्या-02, गोण्डा के पद पर कार्यरत हूँ।
- धारा-02:- यह कि जो पुस्तक प्रकाशित कराये जाने हेतु अनुमति/स्वीकृति चाही गई है, वह रचना मेरी स्वयं की रचना है।
- धारा-03:- यह कि यह रचना न तो न्याय विभाग से सम्बन्धित है और न ही किसी अन्य शासकीय विभाग से सम्बन्धित है।
- धारा-04:- यह कि उक्त पुस्तक के प्रकाशन से मेरे पदीय दायित्व प्रभावित नहीं होंगे।
- धारा-05:- यह कि यह रचना एक पूर्णरूपेण साहित्यिक रचना है, जिसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा किसी समुदाय या धर्म विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- धारा-06:- यह उक्त पुस्तक के लिखे जाने अथवा प्रकाशित किये जाने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित न्यायिक अधिकारियों की सेवा व आचरण सम्बन्धी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा।
- धारा-07:- यह कि उक्त पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात् मुझे कोई रायल्टी आदि प्राप्त होती है, तो नियमानुसार मैं उसका निश्चित कर (Tax) भारत सरकार को कर अदा करूँगी।

मैं शपथिनी प्रमाणित करती हूँ कि शपथ-पत्र में धारा-01 लगायत 07 मेरे निजी, ज्ञान व जानकारी में सत्य एवं सही है।

दिनांक-

स्थान:- दीवानी कचेहरी, जनपद-गोण्डा।

शपथिनी

(शैली राय)

अपर प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय)
कक्ष संख्या-02, गोण्डा

पता म0नं0-बी-6, हाजसिंग कालोनी, सिविल लाईन्स,
गोण्डा